

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग  
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5<sup>वाँ</sup> मंजिल  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 17-01-2022

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),  
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,  
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली-110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा यथा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहबद्ध अनुदान जारी करना।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2020-21 के लिए कुल 4550.00 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) की राशि एफसी-XV अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों के सहबद्ध अनुदान राज्य सरकार को जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1.	मेघालय	4550.00	आरएलबी का सहबद्ध अनुदान	द्वितीय	2020-21
x	योग	4550.00	x	x	x

2. राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि 4550.00 लाख रुपये की उपरोक्त राशि राज्य में स्वायत्त जिला परिषदों/बहिष्कृत क्षेत्रों (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को आवंटित की जाए, जिसमें 2011 की जनगणना की जनसंख्या 90% भारिता और 10% भारिता वाले क्षेत्र का उपयोग किया जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार बहिष्कृत क्षेत्रों (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. राज्य (राज्य वित्त विभाग) बिना किसी कटौती के केंद्र सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिनों में सहायता अनुदान अंतरित करेगा। दस कार्य दिनों से अधिक विलंब के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित इसे जारी करना होगा।

5. उपर्युक्त एफसी-XV द्वारा अनुशंसित आरएलबी के सहबद्ध अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय, जहां तक संभव हो, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन सहबद्ध अनुदानों का एक आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। यह अन्य श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है।

6. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान को ओएम संख्या एफ.15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक 01-06-2020 के अंतर्गत इस विषय पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों को निम्नानुसार उपयोग प्रमाणपत्र में प्रमाणित करने की आवश्यकता है:

(i) उन्होंने कहा कि उनके सभी ग्राम पंचायतों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्शी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने जीपीडीपी में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को शामिल किया है।

(ii) पेयजल और स्वच्छता सेवा को शामिल करते हुए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2020-21 के राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (जिला ग्राम कार्य योजनाओं को एकत्रित करना) को अंतिम रूप दिया गया है और डीडीडब्ल्यूएस के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर अपलोड किया गया है।

(iii) पैरा 6 में ऊपर उल्लिखित दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक पर पूरे वर्ष 2020-21 के लिए सहबद्ध अनुदान का प्रतिशत।

7. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।

8. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40 में भुगतान समायोज्य हैं। प्रयोजन शीर्ष 31, स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।

(अभय कुमार)  
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार(ओं)

(अभय कुमार)  
निदेशक (एफसीडी)